प्रेस विज्ञप्ति

17.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि अंचल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.05.2024 को मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध के लिए अनिल कुमार डी और डेविड जॉर्ज नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के तहत केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले में केरल पुलिस द्वारा पंजीकृत 18 प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर आरोपी अनिल कुमार, प्रबंध निदेशक, पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड, डेविड जॉर्ज, प्रबंधक, पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आम जनता से 4.85 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी के लिए जांच शुरू की। इसके बाद, जांच से पता चला है कि कोईपुरम और तिरुवल्ला पुलिस स्टेशनों में कुल 122 मामले दर्ज किए गए हैं और इन प्राथमिकियों में कुल राशि 21.40 करोड़ रुपये (लगभग)की धोखाधड़ी शामिल है।

ईडी द्वारा जांच के दौरान, यह पता चला है कि अनिल कुमार डी और डेविड जॉर्ज ने उच्च ब्याज दर रिटर्न की पेशकश करके एक साथ कई जमाकर्ताओं से नकद और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से धन संग्रह किया और बाद में जमा राशि का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों और कई अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश के उद्देश्य से भी किया और इस तरह गरीब जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की |

इस प्रकार, उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 के तहत धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का अपराध किया और जनता से प्राप्त कुल जमा राशि का पूरा विवरण प्रकट नहीं किया और ना ही बताया कि अपराध की आय कहाँ ठिकाने लगाई गई है। इसलिए, दोनों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 15.05.2024 को गिरफ्तार किया गया और 16.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), (सीबीआई-I), एर्नाकुलम के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 2 दिनों के लिए आरोपी को हिरासत में लेने की मंजूरी प्रदान की।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।